रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 1993/वैशाख 31, 1915
No. 298] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 1993/VAISAKHA 31, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1993

धन कर

का. आ. 328 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) धन नियमों का संक्षिप्त नाम धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये 1 जून, 1993 से प्रवृत्त होंगे।

2 धन कर नियम, 1957 में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) धारा 14 में निर्दिष्ट शुद्ध धन की विवरणी—

(अ) निर्धारण वर्ष 1992-93 और पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में —

(क) व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, प्रारूप क में होगी ;

(ख) कम्पनियों की दशा में प्रारूप ख में होगी और उनमें विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें सत्यापित किया जाएगा ;

(आ) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, और कम्पनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 1993-94 और किसी अन्य पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रारूप क या ख में होगी और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से उसे सत्यापित किया जाएगा";

(ii) प्ररूप ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

आय कर विभाग

शुद्ध धन की विवरणी

[नियम 3 (1) (ख) देखिए]

(व्यष्टियों /हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों/कम्पनियों के लिए)

रसीद सं. ————————

तारीख ————————

1. मूल/पुनरीक्षित धारा 16(4)(1)/17

2. निर्धारण वर्ष

3. मूल्यांकन की तारीख 31-3———

4. मूल विवरणी फाइल करने की तारीख————

5. स्थायी————————

लेखा सं./जी. आई./

आर सं.

वार्ड/सर्किल/रेंज ————————

6. प्रास्थिति

7. निवास प्रास्थिति————

8. नाम [व्यष्टि के मामले में पहले उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में)]

————————————————

————————————————

————————————————

9. निवास का पता/कम्पनी के मामले में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (स्पष्ट अक्षरों में)

————————————————

————————————————

————————————————

————————————————

टेलीफोन .... पिन ....

10. कार्यालय का पता (स्पष्ट अक्षरों में) . . . . . .

————————————————

————————————————

————————————————

टेलीफोन .... पिन ....

11. कृपया उपदर्शित कीजिए :

(क) व्यष्टि/कर्ता के मामले में क्या आप भारत के नागरिक हैं : हां/नहीं

(ख) क्या यह आपका पहला धन कर निर्धारण है? . . . हां/नहीं

(ग) क्या आपका आयकर के लिए निर्धारण किया गया है? . . हां/नहीं

(घ) क्या आपने इसी निर्धारण वर्ष के लिए आय/दान की विवरणी फाइल की है? . . . . हां/नहीं

(i) आय की विवरणी . . . . . . हां/नहीं

(ii) दान की विवरणी . . . . . . हां/नहीं

यदि (घ) का उत्तर हां में है तो किस फर्म/तारीख (तारीखों) को और किस बाई/सर्किल /रेंज में :—

(i) आय का विवरणी हां/नहीं

(ii) दान की विवरणी हां/नहीं

(ङ) क्या विवरणी विधिक प्रतिनिधि के रूप में फाइल की जा रही है हां/नहीं

(च) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में:—

(i) क्या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कम से कम कोई एक ऐसा सदस्य है जिसका इस निर्धारिणी वर्ष के लिए शुद्ध धन निर्धारिणी है हां/नहीं

(ii) क्या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्यों के बीच 31 दिसम्बर, 1978 के पश्चात् कोई विभाजन हुआ है . . . . . हां/नहीं

(छ) क्या ऐसी कोई आस्तियां जैसा कि धन कर अधिनियम, 1957 की की धारा 2 (5क) में है जो ठीक पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध धन की विवरणी में दिखाई गई थी इस विवरणी में उपवर्जित कर दी गई हां/नहीं

यदि (छ) का उत्तर हां में है तो उनके व्ययन की तारीख और रीति और उनके प्रतिफल यदि कोई हो के संबंध में विवरणी के साथ विशिष्टियां संलग्न करें हां/नहीं

(ज) क्या आपने किसी दोहरे कराधान से राहत का दावा किया है?

(i) विदेशी से करार के अधीन हां/नहीं

(ii) उस देश के बारे में जिसके साथ कोई करार नहीं है। हां/नहीं

देश का नाम

भाग 1

शुद्ध धन की, जिसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों का ऐसा शुद्ध धन भी है जो मूल्यांकन की तारीख को निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित किए जाने योग्य है, संगणना

1. स्थावर सम्पत्ति :

वर्णन और स्थिति	अनुसूची III के अनुसार मूल्य	आस्ति के संबंध में लिया गया उपगत ऋण
(क)	(ख)	(ग)
	रु.	रु.
	रु.	रु.
	रु.	रु.
	रु.	रु.

शुद्ध रकम
[(ख) — (ग)]
घ

रु _____

रु _____

रु. _____

रु. _____

2. स्थावर सम्पत्ति की कुल मूल्य [अर्थात ऊपर (ख)] का योग

(ख) चल सम्पत्ति

1. वर्णन	अनुसूची III के अनुसार मूल्य	अस्ति के संबंध में लिया गया और उपगत ऋण	शुद्ध रकम (ख—ग)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(I) मोटर कार (उनसे भिन्न जिनका निर्धारिती द्वारा भाड़े पर चलाए जाने के कारबार में या व्यापार स्टाक के रूप में उपयोग किया जाता है)			
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
		कुल----------	रु०

	भार	सकल	शुद्ध	
(II) बहुमूल्य धातु				
(1) स्वर्ण	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(2) चांदी	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(3) प्लेटीनम	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(4) अन्य	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(III) आभूषण	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(1) स्वर्ण आभूषण				
(2) चांदी के आभूषण	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(3) प्लेटीनियम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या उसमें मिश्र धातु से बने आभूषण	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(4) रत्न या उपरत्न	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
(5) फर्नीचर, बर्तन या स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु से बनी कोई अन्य वस्तु	----------	---------- रु०----------	रु०----------	रु०----------
				कुल.....रु.
	----------	---------- ----------	----------	----------

(IV) नौका, नाव और वायुयान (जो निर्धारणकर्ता द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले से भिन्न (प्रत्येक मद को पृथक रूप से प्रगणित करें)

----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
----------	रु०----------	रु०----------	रु०----------
			कुल रु०

(V) हाथ नकदी :—

चल सम्पत्ति का कुल मूल्य (उपरोक्त (1) (घ) से (v) (घ) तक की मदों में योगों का कुल योग)

(ग) किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (ए ओ पी) की आस्तियों में उसके भागीदार या सदस्य के रूप में धारित हित

1 वर्णन	अनुसूची III के अनुसार मूल्य	आस्ति के संबंध में लिया गया और और उपगत ऋण	शुद्ध रकम (ख-ग) (घ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i) फर्म (नाम और पता)	रु०	रु०	रु०
	रु०	रु०	रु०
	रु०	रु०	रु०
	रु०	रु०	रु०
			कुल रुपये
(ii) (ए ओ पी) (नाम और पता)	रु०	रु०	रु०
	रु०	रु०	रु०
	रु०	रु०	रु०
	रु०	रु०	रु०
			कुल रुपये

2. किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (ए ओ पी) की आस्तियों में उसके भागीदार या सदस्य के रूप में धारित हित का संकलित मूल्य (अर्थात् उपरोक्त 1(i) (घ) और (ii) (घ) के योगों का कुल योग)

योग रु.

शुद्ध धन की विवरणी

1. स्थावर सम्पत्ति का संकलित मूल्य (मद सं क-2) ——————रु.

जंगम सम्पत्ति का संकलित मूल्य (मद संख्या ख-2) ——————रु.

ग. किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम (ए ओ पी) की आस्तियों में उसके भागीदारी या सदस्य के रूप में धारित हित का संकलित मूल्य (मद सं. ग-2), ——————रु०

2. शुद्ध धन (क+ख+ग)

3. शुद्ध धन (सौ रुपए के निकटतम गुणज तक गुणांकित किए गए (शब्दों में) ——————

——————

4. उपरोक्त 2 में सम्मिलित की गई आस्ति का जो किसी अन्य व्यक्ति की आस्ति है मूल्य ——————रु.

5. ऐसे व्यक्ति का नाम और संबंध

भाग II करों की विवरणी

1. शुद्ध धन पर कर रु. ——————

2. जोखिए विवरणी के विलम्ब से फाइल करने पर ब्याज रु. ——————

3 कुल कर और संदेय ब्याज (अर्थात्:— 1+2) रु. ——————

4. घटाइए :स्वतः निर्धारण पर संदत्त कर और ब्याज, (यदि कोई हो) रु. ------------------
(चालान सलग्न करें) कर-- , ब्याज --रु.

योग ----------------------
------------------ ------

संदाय की तारीख ------------------------------ ------------------------------
बैंक/शाखा का नाम ------------------------------ रु

5. संदेय कर / ब्याज या शोध्य प्रतिदाय ------------------------------

(3--4) ----------------रु.

भाग—3 जानकारी जहां निर्धारिती किसी फर्म/व्यक्तियों के संगम का भागीदार या सदस्य है

क्रम सं.	अन्य भागीदारों/ सदस्यों के नाम	लाभ अनुपात का अंश	संव्यवहार की आस्तियों में हित का मूल्य
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
फर्म			
व्यक्तियों का संगम			

भाग 4 वे आस्तियों जिनपर छूट का दावा किया गया है

आस्ति का वर्णन	रकम (रु०)	दावे के लिए कारण
(क)		
(ख)		
(ग)		
(घ)		
(ङ)		

भाग—5 संलग्न दस्तावेजों /विवरणियों की सूची

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

सत्यापन

मैं.................................जो श्री ....का/की /पुत्र/पुत्री/
(नाम स्पष्ट अक्षरों में) (पिता/पति का नाम)

पत्नी हूं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न उपाबंधों और विवरणियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और इसमें वर्णित शुद्ध धन की रकम और अन्य विशिष्टियों का उल्लेख सही-सही किया गया है और वे 1 अप्रैल 19———को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत मूल्यांकन तारीख से संबंधित हैं।

मैं सत्यनिष्ठा से यह और घोषणा करता/करती हूं कि * मेरे पास : ..... उस व्यक्ति के पास जिसके लिए और जिसकी ओर से यह विवरणी दी गई है उस व्यक्ति के पास जिसके शुद्ध धन की बाबत में निर्धारणीय है

*मेरी कोई अन्य ऐसी आस्ति उक्त व्यक्ति की नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में नहीं है जो उक्त मूल्यांकन की तारीख को

*मेरे उस व्यक्ति के

*मेरे शुद्ध धन की संगणना करने में हिसाब में ली जानी अपेक्षित है।

उक्त व्यक्ति के

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... के ..... हैसियत में यह विवरणी बना रहा/रही हूं और विवरणी को बनाने और इसकी सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं

तारीख .....

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

महत्वपूर्ण :—सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी सब बातों में सही है और पूर्ण है। जो व्यक्ति इस विवरणी में मिथ्या कथन करेगा उसके विरुद्ध धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 35 के अधीन अभियोजन संस्थित किया जा सकेगा और वह दोषसिद्धि पर:—

(i) एक लाख रुपए से अधिक के कर के आशयित अपवंचन के मामले में ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, "जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा" और जुर्माना से,

(ii) किसी अन्य मामले में ऐसी अवधि के लिए कठिन कारावास से जो तीन महीने से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, जो जुर्माने के दण्डनीय होगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए।

[संख्या 9295/फा स 134/6/93—टी टी एल]

वी. के सक्सेना, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 3384 तारीख 18-10-1957 के अधीन प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए:—

का. आ. सं. 271 तारीख 27-1-1961, 798 तारीख 30-4-1963, 1473 तारीख 28-9-1964, 2064 तारीख 4-6-1968, 2432 तारीख 2-7-1968, 1026 तारीख 10-3-1970, 2801 तारीख 1-9-1970, 2882 तारीख 1-9-1970, 999 तारीख 26-2-1971, 185 तारीख 25-2-1972, 437 तारीख 21-6-1972, 707 तारीख 15-11-1972, 154 तारीख 17-3-1973, 187 तारीख 31-3-1973, 327 तारीख 4-6-1973, 21 तारीख 4-1-1974, 599 तारीख 8-10-1974, 726 तारीख 19-12-1974, 739 तारीख 30-12-1974, 559 तारीख 30-9-1975, 147 तारीख 1-3-1975, 2567 तारीख 31-3-1976, 702 तारीख 3-11-1976, 732 तारीख 15-11-1976, 16 तारीख 12-1-1977, 166 तारीख 15-2-1977, 7321 तारीख 14-10-1977, 434 तारीख 7-7-1978, 554 तारीख 11-9-1978, 169 तारीख 30-3-79, 610 तारीख 29-10-1979, 11 तारीख 19-1-1980, 75 तारीख 28-1-1980 119 तारीख 20-2-1981, 397 तारीख 30-5-1981 493 तारीख 19-6-1981, 130 तारीख 22-2-1983, 273 तारीख 31-3-1983, 158 तारीख 12-3-19847 तारीख 1-10-951 तारीख 21-12-91 958 तारीख 16-32-1984, 885 तारीख 19-9-1985, 149 तारीख 31-3-1986, 703 तारीख 1-10-1986, 973 तारीख 4-11-1987, 109 तारीख 18-1-1988, 533 तारीख 30-6-1988, 761 तारीख 17-8-1988, 111 तारीख 31-10-1988, 347 तारीख 9-5-1999, 358 तारीख 9-5-1989, 720 तारीख 13-9-1989, 976 तारीख 30-11-1989, 550 26-8-1991 और 94 तारीख 8-2-93.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1993.

Wealth-Tax

S.O. 328(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of te Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the wealth-tax Rules, 1957, namely :

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Second Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 1993.

2. In the Wealth-Tax Rules, 1957, —

(i) for sub-rule (1) of rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) the return of net wealth referred to in section 14 shall—

(A) In respect of assessment year 1992-93 and earlie assessment years—

(a) in the case of individuals and Hindu Undivided Families, be in Form A;

(b) in the case of companies, be in Form B ;

and shall be verified in the manner specified therein ;

(B) In the case of indlviduals, Hindu Undivided Families and companies, in respect of assessment year 1993-94 and any other subsequent assessment year, be in Form BA and shall be verified in the manner specified ther ei n

(ii) after Form B, the following Form shall be inserted, namely :

"INCOME-TAX DEPARTMENT WTS BA

RETURN OF NET WEALTH FORM BA Receipt No———

[See Rule 3(1)(B)] Date———

[FOR INDIVIDUALS/HINDU UNDIVIDED FAMILIES/COMPANIES]

1. Original/Revised/u/s 16(4)(I)/17 2. Assessment year 19 3. Valuation Date 31-03-19

4. Date of filing of original return 19 5. PAN/ GIR No. Ward/Circle/Range

6. Status 7. Residential Status

8. Name (Surname first in the case of individual) [In Block letters]

9. Residential Address/Registered Office in the case of company (In Block Letters)

Telephone PIN

10. Office Address [In Block letters]

Telephone □□□□ PIN □□□□

11. Please Indicate, :

(a) In the case of Individual/karta, are you a citizen of India? Yes/No

(b) Is this your first Wealth-tax Assessment? Yes/No

(c) Are you assessed to Income-tax? Yes/No

(d) Have you filed return of Income/Gift for same assessment year Yes/No

(i) Return of Income Yes/No

(ii) Return of Gift(s) Yes/No

If answer to (d) is yes, on what date(s) and with which Ward/Circle/Range?

(i) Return of Income ———

(ii) Return of Gift(s) ———

(e) Is the return being filed as a legal representative? Yes/No

(f) In the case of Hindu undivided family :

(i) Does the HUF have at least one member whose net wealth is assessable for this assessment year? Yes/No

(ii) Has a partition taken place after 31st December 1978 among the members of the HUF? Yes/No

(g) Have any assets, as in section 2(ee) of the W.I. Act 1757, which were shown in the Return of the net wealth for the immediately preceding assessment year been excluded from this Return? Yes/No

If answer to (g) is Yes, attach to the Return particulars regarding the date and manner of their disposal and the consideration there for itemwise, if any.

(h) Have you claimed any Double Taxation Relief ?

(i) Under agreement with Foreign Countries Yes/No

(ii) In respect of country with which no agreement exists ? Yes/No

Name of the country———

PART-I COMPUTATION OF NET WEALTH INCLUDING NET WEALTH OR OTHER PERSONS INCLUDIBLE IN ASSESSEE'S NET WEALTH ON VALUATION DATE

A. IMMOVABLE PROPERTY

1. Description and Situation	Value as per Schedule-III	Debts owed and incurled in relation to the asset	Net Amount [(b)—(c)]
(a)	(b)	(c)	(d)
	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.

2 Aggregate value of immovable property (i.e. total of 1(d) above) Rs.

B. Movable Property

1 Description	Value as per Schedule III	Debts owed and incured in relation to the asset	Net Amount [(b)– (c)]
(a)	(b)	(d)	(d)
(i) Motor cars (other than those used by the assessee in the business of running them on hire or as stock-in-trade).			
	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.

Total Rs.

(ii) Precious metals	Weight Gross	Weight Net			
(1) Gold			Rs.	Rs.	Rs.
(2) Silver			Rs.	Rs.	Rs.
(3) Platinum			Rs.	Rs.	Rs.
(4) Others			Rs.	Rs.	Rs.

Total Rs.

(iii) Jewellery			
(1) Gold Ornaments	Rs.	Rs.	Rs.
(2) Silver Ornaments	Rs.	Rs.	Rs.
(3) Ornaments made of platinum or any other precious metal or any alloy thereof.	Rs.	Rs.	Rs.
(4) Precious or semi-precious stones.	Rs.	Rs.	Rs.
(5) Furniture, utensil or any other article made of gold, silver, plantinum or any other precious metal.	Rs.	Rs.	Rs.

Total Rs.

(iv) Yachts, boats and Aircrafts (other than those used by the assessee for commercial purposes)

(enumerate each item separately)

Rs. Rs. Rs.

Rs. Rs. Rs.

Rs. Rs. Rs.

Rs. Rs. Rs.

Total Rs

(iv) Cash in hand Rs.

Aggregate value of Movable Property [i.e. Grand total of Totals of Items (i) (d) to (v) (d) above] Rs.

C. Interest held in the Assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof.

1. Description	Value as per Schedule III	Debts owed and incurred in relation to the asset	Net Amount [(b)—(c)]	
(a)	(b)	(c)	(d)	
(i) Firm				
(Name and address)				
	Rs.	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	Rs.	
(ii) AOP				
(Name and address)				
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Rs.	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	Rs.	
			Total Rs.	

2. Aggregate value of interest held in the assets of a Firm or AOP as a partner or member thereof [i.e. Grand Total of Totals of 1(i)(d) and 1(ii)(d) above] Total Rs.

D. Statement of Net Wealth

1. A. Aggregate value of immovable property (Item No. A.2.) Rs.

B. Aggregate value of movable property (Item No. B.2) Rs.

C. Aggregate value of interest in assets held in a firm or AOP as partner or member thereof (Item No. C.2) Rs.

2. Net Wealth (A+B+C) Rs.

3. Net wealth (As rounded off to the nearest multiple of hundred rupees)
(In words.

4. Value of asset included in 2 above beig the asset by any other person. Rs.

.Name and relationship of such person(s)

PART-II STATEMENT OF TAXES

1. Tax on Net Wealth Rs.-
2. Add : Interest on late filing of Return Rs.-
3. Total Tax and interest payable (i.e. 1+2) Rs.—
4. Less : Tax and Interest.

if any, paid on Self assessment (Attach Challans) Tax Rs Interest Rs Total Rs.
Date of payment 19

Name of the Bank/Branch

5. Tax/Interest payable or refund due (3—4) Rs.

Part-III INFORMATION WHERE ASSESSEE IS A PARTNER OR MEMBER OF A FIRM/AOP

	Sl. No.	Name(s) of other Partners/Members	Share of Profit Ratio	Value of Interest in the assets of concern
	(a)	(b)	(c)	(d)
FIRM AOP				

PART-IV ASSETS CLAIMED EXEMPT

Description of Asset	Amount (Rs.)	Reasons for Claim
(a)		
(b)		
(c)		
(d)		
(e)		

PART-V LIST OF DOCUMENTS/STATEMENTS ATTACHED

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

VERIFICATION

I— son/daughter/wife of Shri
(Name in block letters) (Name of father/husband)*

solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this Return and the annexures and statements accompanying it is correct and complete, that the amount of net wealth and other particulars shown are truly stated and relate to the valuation date relevant to the assessment year commencing on the 1st April, 19...............

I further solemnly declare that

*I

the person for and on whose behalf this return is furnished

the person in respect of whose net wealth I am assessable had no other asset belonging to

*me— either in *my— name or in the name of
the said person the said person's

*Strike out whichever is not applicable.

any other person which is required to be taken into consideration in computing

*my——————————————net wealth on the said valuation date.

the said person's had no other assets belonging to it which is required to be taken into consideration in computing its net wealth as on the said valuation date.

I further declare that I am making this return in my capacity as———————————————————————— of

(designation in the case of company/HUF)

———————————— —and that I am competent to make this return and verify it.

Date——————————

Place———————————— Signature———————————

Important : Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that this return is correct and complete in every respect. Any person making a false statement in this return shall be liable to prosecution under section 35D of the Wealth-tax Act, 1957, and on conviction be punishable :—

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment of a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

*Strike out whichever is not applicable.

[No. 9295/F. No. 134/6/93-TPL]

V.K. SAKSENA, Under Secy. (TPL)

Foot Note : Principal rules were published vide Notification No. S.R.O. 3384 dated 18-10-1957 and subsequently amended by S.O. No. 271 dated 27-1-1961, 798 dated 30-4-1963, 1473 dated 28-9-1964, 2064 dated 4-6-1968, 2432 dated 2-7-1968, 1026 dated 10-3-1970, 2881 dated 1-9-1970, 2882 dated 1-9-1970, 999 dated 26-2-1971, 165 dated 25-2-1972, 437 dated 21-6-1972, 707 dated 15-11-1972, 154 dated 17-3-1973, 187 dated 31-3-1973, 327 dated 4-6-1973, 21 dated 4-1-1974, 599 dated 8-10-1974, 726 dated 19-12-1974, 739 dated 30-12-1974, 559 dated 30-9-1975, 147 dated 1-3-1976, 267 dated 31-3-1976, 702 dated 30-11-1976, 732 dated 15-11-1976, 16 dated 12-1-1977, 166 dated 15-2-1977, 721 dated 14-10-1977, 434 dated 7-7-1978, 554 dated 11-9-1978, 169 dated 30-3-1979, 610 dated 29-10-1979, 41 dated 19-1-1980, 75 dated 28-1-1981 119 dated 20-2-1981, 397 dated 30-5-1981, 493 dated 19-6-1981, 130 dated 22-2-1983, 273 dated 31-3-1983, 158 dated 12-3-1984, 758 dated 1-10-1984, 951 dated 21-12-1984, 958 dated 26-12-1984, 685 dated 19-9-1985, 149 dated 31-3-1986, 703 dated 1-10-1986, 973 dated 4-11-1987, 109 dated 18-1-1988, 533 dated 30-5-1988, 761 dated 17-8-1988, 999 dated 31-10-1988, 347 dated 9-5-1989, 348 dated 9-5-1989, 720 dated 13-8-1989, 976 dated 30-11-1989, 550 dated 26-8-1991 and 94 dated 8-2-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993